



राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, नीमराना, (अलवर)
जिला - अलवर



राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण-पत्र

संख्यांक: RJ/2017/राजस्व विभाग/अन्य पिछड़ा वर्ग/18150957923
दिनांक: 30-10-2018
आवेदक का आधार नम्बर: 987561799981
आवेदक / परिवार के मुखिया का भामावाह कार्ड संख्या: 9999-302X-00036

यह प्रमाणित किया जाता है कि:

- 01 सुश्री मीनू स्वामी पुत्र/पुत्री श्री कृष्ण कुमार राजस्थान राज्य के जिला अलवर पता- 174, ग्राम पोस्ट घीलोट तह नीमराना अलवर, घीलोट, नीमराना, अलवर कं/की निवासी है तथा वे और या इनका कुटुम्ब यहाँ स्थाई रूप से निवास करता है/करती है/करते हैं।
- 02 उक्त सुश्री मीनू स्वामी राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.प.11(164) आर.एण्ड पी./एस.ने.ई.डी./09/47032 दिनांक 25.08.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से 66 SWAMI (66 स्वामी) वर्ग/जाति के/की सदस्य है।
- 03 उक्त सुश्री मीनू स्वामी आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के किमीलियर संबंधी राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं.प.7(8)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 25.08.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार किमीलियर (सम्पन्न वर्ग) का/की नहीं है।

नोट:

1. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.एफ.21(37) एस.ने.ई./कम्प्यू./ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जारी प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
2. उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोस्क द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकता।
3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजात जिनके के सम्बंधित प्रदल अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
4. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
5. प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सत्यापित किया जा सकता है। टोलफ्री संख्या: 180157148688

*सम्बन्ध के पिछड़े वर्ग के लिये राजस्थान सरकार के जमीन लेन-देन में निर्धारित और पट्टी तथा संपत्ति की वैधता के सम्बन्धी में सौटों में आरक्षण के प्रयोगकर्ता।

उपखण्ड अधिकारी, नीमराना, (अलवर)

Signature valid

Digitally signed by KUMAR TYAGI
Date: 2018.10.30 15:56:55 +05:30
Reason: Approved
Location: Rajasthan

